DAILY CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

20 MARCH 2025

THE HINDU | दैनिक जागरण | The Indian EXPRESS | Hindustan Times

UPSC, IAS/PCS AND ALL COMPITETIVE EXAM

PIB | THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE

ABHAY SIR

Events in News

Topic 1- गैंडे की नई प्रजाति 'यूरिनोसेरोस सोंडाइकस'

Topic 2- जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव

Topic 3 - क्रिएटर इकोनॉमी और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

Topic 4 - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

गैंडे की नई प्रजाति 'यूरिनोसेरोस सोंडाइकस'

वन्य जीव एवं जैव विविधता

गैंडे की नई प्रजाति 'यूरिनोसेरोस सोंडाइकस' की पहचान!

नए अध्ययन में भारतीय और सुंडाइक गैंडे के बीच महत्वपूर्ण अंतर की पहचान की गई है

गैंडे का परिचय

- गैंडा (Rhinoceros) एक बड़ा, शाकाहारी और स्तनधारी जीव है, जो मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है।
- इसकी त्वचा मोटी और झुर्रियों वाली होती है, और यह 1 या 2 सींगों वाला होता है।
- गैंडे का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवैध शिकार और पर्यावास (Habitat) विनाश के कारण संकट में है।

गैंडे की प्रमुख प्रजातियाँ

भारत में गैंडे की स्थिति

- भारत में मुख्य रूप से भारतीय गैंडा (Great Indian One-Horned Rhinoceros) पाया जाता है।
- यह असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) भारतीय गैंडे की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है।

गैंडे के संरक्षण हेतु सरकारी प्रयास

1. कानूनी संरक्षण

- भारतीय गैंडा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल है, जिससे इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है।
- CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) के परिशिष्ट-I में शामिल, जिससे इसके अवैध व्यापार पर प्रतिबंध है।

2. संरक्षण कार्यक्रम

- "भारतीय गैंडा संरक्षण योजना" के तहत काजीरंगा, मानस और ओरंग राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण प्रयास चलाए जा रहे हैं।
- "राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति" (2019) - भारतीय गैंडे की संख्या बढ़ाने और उसके पर्यावास को संरक्षित करने के लिए योजना।

3. प्रमुख संरक्षित क्षेत्र (National Parks & Wildlife Sanctuaries)

- **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)** – भारतीय गैंडे की सबसे बड़ी आबादी
- **मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम)**
- **पॉबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (असम)** – उच्चतम गैंडा घनत्व वाला क्षेत्र
- **दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश)**

गैंडे के सामने प्रमुख खतरे

- **1. अवैध शिकार** – गैंडे के सींग की अत्यधिक मांग के कारण शिकार किया जाता है।
- **2. पर्यावास का विनाश** – कृषि, शहरीकरण और बाढ़ के कारण गैंडे के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।
- **3. मानव-वन्यजीव संघर्ष** – गैंडे और स्थानीय किसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है।
- **4. जलवायु परिवर्तन** – बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं का असर गैंडे की आबादी पर पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव

Result Mitra

अगले पांच साल में देश में दोगुनी हो जाएगी खारी जमीन, सरकार ने दी जानकारी

कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से लवणता प्रभावित क्षेत्र भी 2030 तक 6.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 11 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है।

1. आईसीएआर अध्ययन का उद्देश्य

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव जानने के लिए सिमुलेशन मॉडलिंग अध्ययन किया।
- अध्ययन में मिट्टी के क्षरण, वर्षा पैटर्न और फसल पैदावार पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया गया।

2. मिट्टी के क्षरण पर प्रभाव

- वर्षा में वृद्धि के कारण 2050 तक फसल भूमि से 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मिट्टी का नुकसान हो सकता है।
- अधिक जल प्रवाह और अपरदन से मिट्टी की उर्वरता घटेगी, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होगा।

3. लवणता प्रभावित भूमि में वृद्धि

- जलवायु परिवर्तन के कारण लवणता प्रभावित भूमि 2030 तक 6.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 11 मिलियन हेक्टेयर हो सकती है।
- इससे कई क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता खराब होगी और पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

4. फसल पैदावार पर प्रभाव

- असामान्य वर्षा और तापमान परिवर्तन से धान, गेहूं, मक्का जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और कीट संक्रमण की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।

5. संभावित समाधान और अनुकूलन रणनीतियाँ

- **संरक्षित कृषि पद्धतियाँ:** जैविक खेती, फसल चक्र और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना।
- **सहिष्णु फसल किस्में:** सूखा और लवणता सहिष्णु फसलें विकसित करना।
- **मृदा संरक्षण:** सिंचाई और जल प्रबंधन तकनीकों में सुधार करना।
- **नीति सुधार:** किसानों के लिए जलवायु अनुकूल नीतियाँ और सहायता योजनाएँ लागू करना।

6. सरकार की पहल

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए "राष्ट्रीय नवाचार कृषि जलवायु परिवर्तन (NICRA)" जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- जल प्रबंधन और मिट्टी संरक्षण के लिए विभिन्न प्रधानमंत्री कृषि योजनाएँ लागू की गई हैं।

क्रिएटर इकोनॉमी और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

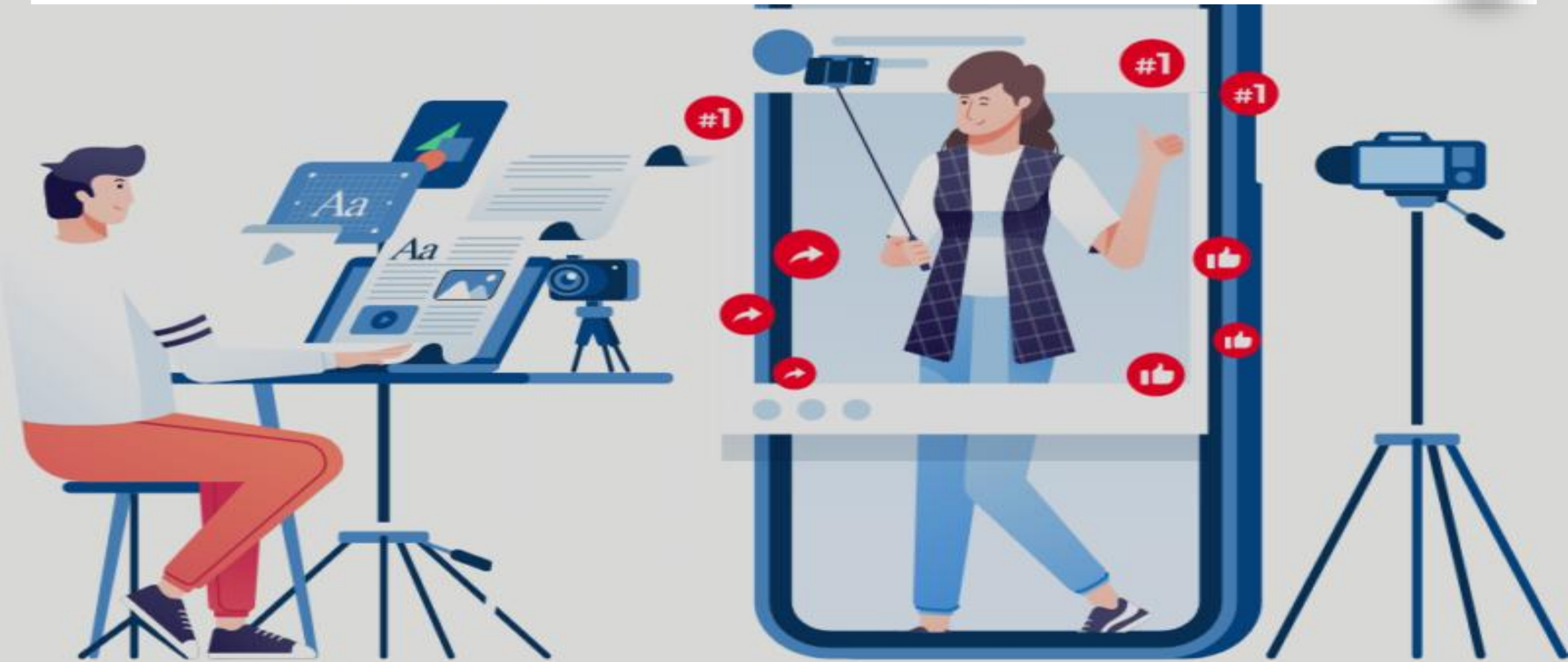

1 बिलियन डॉलर का फंड

- केंद्र सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर का फंड स्थापित करेगी।
- यह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को उनके कौशल सुधारने, प्रोडक्शन अपग्रेड करने और वैश्विक बाजार में विस्तार करने में मदद करेगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT)

- क्रिएटिव और डिजिटल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए IICT की स्थापना के लिए भी धन आवंटित किया गया है।

क्रिएटर इकोनॉमी क्या है?

- इसमें कलाकार, शिक्षक, गेमिंग स्ट्रीमर, वीडियो निर्माता, पॉडकास्टर और अन्य डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स शामिल होते हैं।
- ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आय अर्जित करते हैं।

वैश्विक स्तर पर:

- 2023 में क्रिएटर इकोनॉमी का आकार 250 बिलियन डॉलर था।
- 2027 तक इसके 480 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

- यह ऑरेंज इकोनॉमी (क्रिएटिव इकोनॉमी) का हिस्सा है, जिसमें एडवरटाइजिंग, आर्किटेक्चर, कला, संगीत, फिल्म निर्माण आदि शामिल हैं।

भारत में क्रिएटर इकोनॉमी का महत्व

GDP में योगदान:

- 2022 में यूट्यूब इकोसिस्टम ने भारत के GDP में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया।
- 2024 में भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का मूल्य 30 बिलियन डॉलर था, जो भारत के GDP का 2.5% था।

रोजगार सृजन:

- ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, मर्चेंडाइज सेल्स आदि से लाखों क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मिला।

सॉफ्ट पावर:

- भारतीय संगीत, नृत्य, और शिक्षा कंटेंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर और विदेशी राजस्व बढ़ा।

भारत में क्रिएटर इकोनॉमी की चुनौतियां

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:

- इंटरनेट पहुंच असमान, भारतनेट प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति, डेटा/डिवाइस की उच्च लागत, और कम डिजिटल साक्षरता।

नीतिगत एवं विनियामकीय बाधाएं:

- अस्पष्ट कर प्रणाली, गोपनीयता कानून अनुपालन की जटिलता, कमजोर कॉपीराइट प्रवर्तन, और प्लेटफॉर्म नीतियों में अस्थिरता।

वित्तीय चुनौतियां:

- कम विज्ञापन राजस्व, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के उच्च शुल्क, और पूंजी की सीमित उपलब्धता।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- ***1. नियुक्ति में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:*** सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें CAG की नियुक्ति प्रक्रिया को तटस्थ और पारदर्शी बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा गया है।

- ***2. संवैधानिक प्रावधानों के तहत CAG की भूमिका:*** संविधान के अनुच्छेद 148-151 के तहत CAG को केंद्र, राज्यों और अन्य निकायों के वित्तीय लेखों का ऑडिट करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे सरकारी वित्तीय व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में

1. ***संवैधानिक प्रावधान:*** अनुच्छेद 148-151 CAG से संबंधित हैं।
2. ***नियुक्ति:*** राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. ***पद छोड़ने के बाद:*** भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
4. ***वेतन व सेवा शर्तें:*** संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं या द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित होती हैं।

5. ***पद से हटाने की प्रक्रिया:*** सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है।
6. ***शपथ ग्रहण:*** राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।
7. ***शक्तियां और कर्तव्य (अनुच्छेद 149):***

- केंद्र और राज्यों के वित्तीय लेखों का लेखा परीक्षण।
- संसद द्वारा निर्धारित अन्य वित्तीय कार्यों का निष्पादन।